[2012] 11 एस सी आर 440

भारत संघ और अन्य

वी.

दीनेश प्रसाद

(सिविल अपील सं. 2010 की 1961)

30 अक्टूबर, 2012

[आर. एम. लोधा और एंडिल आर. डेव, जे. जे.]

सेना अधिनियम, 1950- s.116- असम राइफल्स में प्रतिवादी, वॉशरमैन/ राइफलमैन, दो साल से अधिक समय तक बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहने के लिए आरोप पत्र - संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल द्वारा प्रत्यर्थी को बर्खास्त करना-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई - प्रत्यर्थी के कमांडिंग अधिकारी की क्षमता, जिसने हस्ताक्षर किए थे और आरोप पत्र जारी किया था, प्रश्न किए गए प्रत्यर्थी के खिलाफ संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल बुलाने और संचालित करने के लिए-उच्च न्यायालय ने माना कि प्रत्यर्थी के खिलाफ आयोजित संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल कार्यवाही पूर्वाग्रह की संभावना के कारण दूषित थी, और इस प्रकार, उसकी बर्खास्तगी को रद्द कर दिया।

अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः कर्नल 'एस', प्रत्यर्थी का कमांडिंग अधिकारी, प्रत्यर्थी पर मुकदमा चलाने के लिए संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल में सेवा करने के लिए किसी भी विकलांगता,

अयोग्यता या अयोग्यता से पीड़ित नहीं था, इस तथ्य के बावजूद कि उसने प्रत्यर्थी के खिलाफ हस्ताक्षर किए थे और आरोप पत्र जारी किया था।

वास्तव में, प्रतिवादी के मुकदमे के लिए संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल में सेवा करने के लिए कर्नल 'एस' की क्षमता या पात्रता को प्रतिवादी द्वारा पूरी रिट याचिका में बिल्कुल भी मुद्दा नहीं बनाया बनाया गया था-यह केवल उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलों के दौरान था कि प्रतिवादी की ओर से ऐसा प्रस्तुत किया गया था-रिट याचिका में वास्तविक या पूर्वाग्रह की संभावना का कोई अनुरोध नहीं किया गया था-रिट याचिका में कोई याचिका भी नहीं ली गई थी कि प्रतिवादी को संक्षिप्त कोर्ट मार्शल के दौरान निष्पक्ष सुनवाई से इनकार कर दिया गया था-इसके अलावा, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च न्यायालय ने वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की और अनदेखी की-प्रतिवादी को आरोप पत्र दिया गया था जो सेना के नियमों और सेना अधिनियम के अनुरूप था - न तो संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल का गठन और न ही उस उस अदालत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को किसी अवैधता से ग्रस्त कहा जा सकता है-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था।

प्रत्यर्थी ने संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल के समक्ष दोषी ठहराया और संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल ने उसे दोषी पाया-तभी प्रत्यर्थी को बर्खास्त करने का आदेश पारित किया गया था-मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बर्खास्तगी के आदेश को असमान या दमनकारी या बाहरी विचार पर आधारित नहीं कहा जा सकता था-सेना नियम, 1954-नियम 31 और 39।

सेना अधिनियम, 1950 की धारा 108- न्यायालय-युद्ध-आयोजित किए गएः

कोर्ट-मार्शल चार प्रकार के होते हैं, (ए) सामान्य कोर्ट-मार्शल (बी) जिला कोर्ट-मार्शल (सी) सारांश सामान्य कोर्ट-मार्शल और (डी) सारांश कोर्ट-मार्शल। प्रतिवादी असम राइफल्स में वॉशरमैन/ राइफलमैन था। सक्रिय सेवा में रहते हुए, वे 808 दिनों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। उन्हें सेना अधिनियम, 1950 की धारा 39 (ए) के तहत आरोप पत्र सौंपा गया था और उन पर मुकदमा चलाने के लिए एक संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल का गठन किया गया था।

प्रत्यर्थी ने अपराध स्वीकार किया जिसके बाद संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल मार्शल ने प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया। बर्खास्तगी की सजा की पुष्टि समीक्षा अधिकारी द्वारा की की गई थी।

प्रतिवादी ने बर्खास्तगी की सजा को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। उन्होंने रिट याचिका में अपनी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए कहा कि उन्होंने सेवा के दौरान अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और मानसिक अवसाद से पीड़ित थे। हालांकि, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष बहस के समय, उन्होंने प्रस्तुत किया कि बटालियन के कमांडेंट, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे और उन्हें आरोप पत्र जारी किया था, ने संक्षिप्त संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल का आयोजन किया और अध्यक्षता की और उसके निष्कर्ष पर सेवा से बर्खास्तगी की सजा लागू की गई, जिसने कोर्ट-मार्शल कार्यवाही को दूषित कर दिया क्योंकि प्रतिवादी को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित कर दिया गया था।

एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि आरोप पत्र जारी करते समय कमांडेंट ने अस्थायी रूप से अपना मन बना लिया था कि अपराधी के खिलाफ कुछ सामग्री थी और तदनुसार, आरोप पत्र जारी करने के बाद, कमांडेंट को कोर्ट मार्शल नहीं बुलाना चाहिए था और किसी भी स्थिति में कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही का संचालन नहीं करना चाहिए था जिससे प्रतिवादी को बर्खास्त किया जा सके। एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि मामले के तथ्यों में, प्रत्यर्थी के खिलाफ आयोजित संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही पक्षपात की संभावना के कारण दूषित हो गई थी और तदनुसार उसकी बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा द्वारा किए गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, और इसलिए तत्काल अपील की।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहाः 1. सेना अधिनियम, 1950 की धारा 3 (v) 'कमांडिंग ऑफिसर' को परिभाषित करती है। सेना अधिनियम की धारा 108 कोर्ट-मार्शल के प्रकारों का वर्णन करती है। धारा 116 में यह प्रावधान है कि संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल किसी भी कोर, विभाग या नियमित सेना की की टुकड़ी के कमांडिंग अधिकारी द्वारा आयोजित किया जा सकता है, और वह अकेले अदालत का गठन करेगा। धारा 116 की उपधारा (2) के अनुसार, कार्यवाही में दो अन्य व्यक्ति भाग लेंगे जो अधिकारी या कनिष्ठ कमीशन अधिकारी होंगे या दोनों में में से एक होंगे, और जिन्हें शपथ या पुष्टि नहीं दी जाएगी। धारा धारा 71 में कोर्ट-मार्शल द्वारा दिए जाने वाले दंड का प्रावधान है।

है।

2. सेना नियम, 1954 को केंद्र सरकार द्वारा सेना अधिनियम के के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से धारा 191 के तहत

अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया था। सेना नियमों के नियम 31 में प्रावधान है कि आरोप पत्र पर अभियुक्त अभियुक्त के कमांडिंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और और इसमें ऐसे हस्ताक्षर का स्थान और तिथि होगी। नियम 39 कोर्ट-मार्शल के लिए अधिकारियों की अयोग्यता और अयोग्यता से संबंधित है। सेना नियमों के नियम 106 से 133 में संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल के संचालन के लिए कार्यवाही का प्रावधान है। संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल को इन नियमों में दी गई प्रक्रिया का पालन करना होता है। अभियुक्त का अभियोग नियम 111 में दिया गया गया है। नियम 115 'दोषी' या 'दोषी नहीं' की सामान्य दलील से संबंधित है। नियम 116 'दोषी' की याचिका के बाद की प्रक्रिया से संबंधित है। नियम 123 दोषसिद्धि पर प्रक्रिया का प्रावधान करता है और नियम 124 सजा से संबंधित है। नियम 187 (3) (ए) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक बटालियन संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल मार्शल के उद्देश्य से 'कोर' है। [पैरा 12,13,14 और 15] [450-एच; 451-ए-बी-सी; 452-बी-सी; 453-एच; 454-ए]

3. सेना अधिनियम की धारा 4 इसके प्रावधानों को केंद्र सरकार के तहत कुछ बलों पर लागू करती है। सेना अधिनियम की धारा 4 के आधार पर S.R. 0.318 दिनांक 6.12.1962 के साथ पढ़ा (S.R.O द्वारा संशोधित के रूप में)। 325 दिनांक 31.08.1977) 31.08.1977) सेना अधिनियम को असम राइफल्स पर लागू किया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी सेना अधिनियम के प्रावधानों के अधीन था। [पैरा 7,16] [449बी-सी; 454-बी]

4. कोर्ट-मार्शल चार प्रकार के होते हैं, (ए) सामान्य कोर्ट-मार्शल; (बी) जिला कोर्ट-मार्शल; (सी) सारांश सामान्य कोर्ट-मार्शल; और (डी) धारा 108 के अनुसार सारांश कोर्ट-मार्शल। सेना नियमों का नियम 39 कोर्ट मार्शल के लिए अधिकारियों की अयोग्यता और

अयोग्यता से संबंधित है। इस नियम के संदर्भ में, एक अधिकारी को सामान्य कोर्ट-मार्शल या जिला कोर्ट-मार्शल पर सेवा करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है यदि वह एक अधिकारी है जिसने अदालत बुलाई थी। अभियुक्त या जिस कोर से अभियुक्त संबंधित है, उसके एक कमांडिंग अधिकारी को भी सामान्य कोर्ट-मार्शल या जिला कोर्ट-मार्शल पर सेवा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। हालांकि, अदालत बुलाने वाले अधिकारी या आरोपी के कमांडिंग अधिकारी या उस कोर के लिए कोई अयोग्यता संलग्न नहीं है, जिससे आरोपी अन्य दो प्रकार के कोर्ट-मार्शल, अर्थात्, समरी जनरल कोर्ट-मार्शल या समरी कोर्ट-मार्शल में सेवा करने के लिए संबंधित है। सेना अधिनियम या सेना नियमों में किसी ऐसे अधिकारी के लिए न तो कोई बाधा है और न ही कोई प्रतिबंध है, जिसने समरी जनरल कोर्ट-मार्शल या समरी कोर्ट-मार्शल या अभियुक्त के कमांडिंग अधिकारी अधिकारी या उस कोर के लिए, जिससे अभियुक्त संबंधित है, ऐसी अदालत में सेवा करने के लिए बुलाया हो। सेना अधिनियम की धारा 116 में यह प्रावधान है कि एक संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल नियमित सेना के किसी भी कोर, विभाग या टुकड़ी के कमांडिंग अधिकारी द्वारा आयोजित किया जा सकता है और वह अकेले अदालत का गठन करेगा. [पैरा 17] [454डी-एच; 455-ए]

5.1. यदि सेना अधिनियम की धारा 116 में अंतर्विष्ट उपबंध को को सेना नियमों के नियम 31 और 39 के साथ पढ़ा जाता है, तो इस बात में कोई संदेह नहीं रहता है कि कर्नल 'एस', प्रत्यर्थी का कमांडिंग अधिकारी, प्रत्यर्थी पर मुकदमा चलाने के लिए समरी कोर्ट-मार्शल पर सेवा करने के लिए किसी अक्षमता, अयोग्यता या अयोग्यता से पीड़ित नहीं था, इस तथ्य के बावजूद

कि उसने प्रत्यर्थी के खिलाफ हस्ताक्षर किए और आरोप पत्र जारी किया। [पैरा 17 [455-ए]

5.2. वास्तव में, प्रतिवादी के मुकदमे के लिए संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल मार्शल में सेवा करने के लिए कर्नल 'एस' की क्षमता या पात्रता को प्रतिवादी द्वारा पूरी रिट याचिका में बिल्कुल भी मुद्दा नहीं बनाया गया था। एकल न्यायाधीश के समक्ष दलीलों के दौरान ही प्रत्यर्थी की ओर से ऐसा निवेदन किया गया था। एकल न्यायाधीश ने उक्त तर्क को स्वीकार करने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की थी। सबसे पहले, रिट याचिका में बिना किसी आधार के तर्क दिया गया था। रिट याचिका में पूर्वाग्रह की वास्तविक या संभावना का कोई अनुरोध नहीं किया गया था। रिट याचिका में यह भी कोई याचिका नहीं ली गई थी कि उन्हें संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल के दौरान निष्पक्ष सुनवाई से वंचित कर दिया गया था। दूसरा, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एकल न्यायाधीश ने वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की और उनकी अनदेखी की। डिवीजन बेंच इस मामले पर सही परिप्रेक्ष्य में और सेना अधिनियम और सेना नियमों के प्रावधानों के आलोक में विचार करने में भी विफल रही। [पैरा 18] [455-F-H; 456-A-B]

5.3. बिना छुट्टी के अनुपस्थिति सेना अधिनियम के तहत अपराधों में से एक है। उक्त अपराध के कोर्ट-मार्शल द्वारा दोषी ठहराए जाने पर, अपराधी को तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास भुगतना पड़ सकता है। · वैकल्पिक रूप से, ऐसे अपराध के लिए धारा 71 में प्रदत्त किसी भी दंड को कोर्ट मार्शल द्वारा दिया जा सकता है। धारा 71 के खंड (ई) में ऐसे अपराध के लिए कोर्ट-मार्शल द्वारा दिए जाने वाले दंडों में से एक के रूप में सेवा से बर्खास्तगी का प्रावधान है। प्रत्यर्थी को आरोप पत्र सौंपा गया था जो सेना नियमों के नियम 31 और सेना

अधिनियम की धारा 39 और 116 के अनुरूप था। प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया कि वह 808 दिनों के लिए यूनिट लाइन से अनुपस्थित रहा। उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिली।

उन्होंने संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर कर लिया। संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल में सेना नियमों के नियम 116 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन किया गया और उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की सजा दी गई। न तो संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल का गठन और न ही उस अदालत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को किसी अवैधता से ग्रस्त कहा जा सकता है। तथ्य स्पष्ट हैं क्योंकि प्रतिवादी लगभग पाँच साल की सेवा में दो साल साल से अधिक समय तक बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहा। बर्खास्तगी के आदेश को, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, कल्पना के किसी भी विस्तार से, असंगत या दमनकारी या बाहरी विचार पर आधारित नहीं कहा जा सकता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। कमांडिंग अधिकारी द्वारा समरी कोर्ट-मार्शल बुलाने में कोई अवैधता नहीं की गई थी और न ही समरी कोर्ट-मार्शल के संचालन में कोई अवैधता थी। प्रतिवादी ने समरी कोर्ट-मार्शल के समक्ष आरोप के लिए दोषी ठहराया और समरी कोर्ट-मार्शल ने उसे दोषी पाया। तभी प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया गया था। इसके अलावा, कोर्ट-मार्शल द्वारा कोई कारण दर्ज करने करने की आवश्यकता नहीं थी। [पैरा 19,22] [456बी-एफ; 458-डी-एफ]

विद्या प्रकाश बनाम भारत संघ और अन्य। (1988) 2 एससीसी 459: 1988 (2) एससीआर 953-लागू।

पंजाब नेशनल बैंक और अन्य। v. कुंज बिहारी मिश्रा (1998) 7 एससीसी 84:1998 (1) सप्लीमेंट। एससीआर 22; मेनका गांधी बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. AIR 1978 SC 597:1978 (2) SCR 621 और रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य। (2009) 2 एससीसी 570:2008 (17) एससीआर 1476-लागू नहीं

1988 (2) एससीआर 953	पैरा	20
1998 (1) पूरक। एससीआर 22	पैरा	21
1978 (2) एससीआर 621	पैरा	21
2008 (17) एससीआर 1476	पैरा	21

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 1961 का 2010

गुवाहाटी में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 28.08.2008 से रिट अपील सं। 2007 का 364.

अपीलार्थियों के लिए आर. बालासुब्रमण्यम, आशा जी. नायर, विकास मल्होत्रा, संतोष कुमार (बी. कृष्ण प्रसाद के लिए)।

प्रतिवादी के लिए अपूर्व लाल, दलीप सिंह (सुष्मिता लाल के लिए)।

1. न्यायालय का निर्णय दिया गया था. आर.एम. लोढ़ा, जे. - यह अपील अभियुक्त के कमांडिंग अधिकारी की क्षमता पर सवाल उठाती उठाती है, जिसने हस्ताक्षर किए और आरोप पत्र जारी किया, उसी

अभियुक्त के खिलाफ समरी कोर्ट मार्शल बुलाने और संचालित करने करने के लिए।

2. उपरोक्त प्रश्न इस प्रकार उत्पन्न होता है। प्रतिवादी, दिनेश प्रसाद, 1995 में 11 असम राइफल्स में वॉशरमैन/राइफलमैन के रूप में शामिल हुए। 26-7-1998 और 11-10-2000 (FN) के बीच की अवधि के लिए उन्होंने सक्रिय सेवा में रहते हुए अनधिकृत रूप से यूनिट से खुद को अनुपस्थित रखा। 3-8-2001 को कर्नल A.S. सेहरावत, कमांडेंट ने अपने हस्ताक्षर के तहत 808 दिनों के लिए बिना छुट्टी के अनुपस्थिति के लिए प्रत्यर्थी पर सेना अधिनियम, 1950 (संक्षेप में "सेना अधिनियम") की धारा 39 (ए) के तहत आरोप पत्र सौंपा। कमांडेंट ने उपरोक्त आरोप के लिए प्रतिवादी पर मुकदमा चलाने के लिए समरी कोर्ट मार्शल का गठन किया। प्रत्यर्थी ने समरी कोर्ट मार्शल के समक्ष आरोप को स्वीकार किया। समरी कोर्ट मार्शल ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, 4-8-2001 को प्रतिवादी को सेवा से खारिज करते हुए एक आदेश पारित किया। समीक्षा अधिकारी ने प्रत्यर्थी को दी गई सेवा से बर्खास्तगी की सजा की पुष्टि की है।

3. प्रतिवादी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में समरी कोर्ट मार्शल द्वारा उसे दी गई सजा को चुनौती दी। प्रत्यर्थी (उसमें याचिकाकर्ता) ने रिट याचिका में अपनी अनुपस्थिति का कारण समझाया। उनके अनुसार, सेवा के दौरान उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और वे मानसिक अवसाद से पीड़ित थे। एकल न्यायाधीश के समक्ष दलीलों के समय, उनकी ओर से

यह प्रस्तुत किया गया था कि बटालियन के कमांडेंट, जिन्होंने हस्ताक्षर किए और उन्हें आरोप पत्र जारी किया, ने समरी कोर्ट मार्शल का आयोजन और अध्यक्षता की और जिसके निष्कर्ष पर सेवा से बर्खास्तगी की सजा लागू की गई, जिसने कोर्ट-मार्शल कार्यवाही को दूषित कर दिया क्योंकि उन्हें एक निष्पक्ष मुकदमे से वंचित कर दिया गया था।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि आरोप पत्र जारी करते समय कमांडेंट ने अस्थायी रूप से अपना मन बना लिया कि अपराधी के विरुद्ध कुछ सामग्री थी और तदनुसार, आरोप आरोप पत्र जारी करने के बाद, कर्नल A.S. सहरावत, जो बटालियन के कमांडेंट थे, को कोर्ट मार्शल नहीं बुलाना चाहिए था और किसी भी स्थिति में कोर्ट मार्शल की कार्यवाही का संचालन नहीं करना चाहिए था जिससे सेवा से बर्खास्तगी की सजा हो। एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि मामले के तथ्यों में, अपराधी के खिलाफ आयोजित समरी कोर्ट मार्शल की कार्यवाही पक्षपात की संभावना के कारण दूषित हो गई थी। दिनांक 7-9-2006 के निर्णय और आदेश द्वारा एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका याचिका को अनुज्ञात किया और प्रत्यर्थी की सेवा से बर्खास्तगी को अपास्त कर दिया। हालांकि, यह देखा गया कि यदि संबंधित प्राधिकरण चाहे तो कानून के अनुसार मामले में नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए खुला रहेगा।

5. 7-9-2006 के निर्णय और आदेश से संतुष्ट नहीं होने के कारण, वर्तमान अपीलार्थियों ने रिट अपील को प्राथमिकता दी। गुवाहाटी

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने पाया कि सेना अधिनियम की धारा 116 के तहत, संक्षिप्त कोर्ट-मार्शल कार्यवाही किसी भी कोर, विभाग विभाग या नियमित सेना की टुकड़ी के कमांडिंग अधिकारी द्वारा आयोजित की जा सकती है और यह आवश्यक नहीं है कि वह उस बटालियन का कमांडिंग अधिकारी हो जिसमें आरोपी सेवारत था। इस प्रकार डिवीजन बेंच ने 28-8-2008 के अपने आदेश में [भारत संघ बनाम दिनेश प्रसाद, डब्ल्यू. ए. नं. 2007 का 364, दिनांक 28-8-2008 (ग)] के आदेश का विचार था कि आक्षेपित निर्णय में एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण और निष्कर्ष में हस्तक्षेप हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं था। इसी आदेश से विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है।

6. हमारे समक्ष उठाए गए प्रश्न पर विचार करने के लिए सेना अधिनियम और सेना नियम, 1954 (संक्षेप में "सेना नियम") में प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक है। धारा 3 (v) "कमांडिंग ऑफिसर" को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः

> "3. "(v) जब इस अधिनियम के किसी उपबंध में नियमित सेना के किसी पृथक् भाग या उसके किसी विभाग के संबंध में" "कमांडिग अधिकारी" "का प्रयोग किया जाता है, तो उसका अर्थ है वह अधिकारी जिसका कर्तव्य नियमित सेना के विनियमों के अधीन है, या ऐसे किसी विनियम के अभाव में, सेवा की प्रथा के अनुसार, नियमित सेना के उस भाग या उस विभाग के संबंध में, यथास्थिति, उस उपबंध में निर्दिष्ट विवरण

विवरण के मामलों के संबंध में कमांडिंग अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करना है;"

7. सेना अधिनियम की धारा 4 इसके प्रावधानों को केंद्र सरकार के तहत कुछ बलों पर लागू करती है। सेना अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने एस. आर. ओ. 117 दिनांक 28-3-1960 और एस. आर. ओ. 318 दिनांक 6-12-1962 जारी किए हैं। एसआरओ 318 को बाद में एसआरओ 325 दिनांक 31-8-1977 द्वारा संशोधित किया गया है। एस. आर. ओ. 318 दिनांक 6-12-1962 (एस. आर. ओ. 325 दिनांक 31-8-1977 द्वारा यथा संशोधित) इस प्रकार हैः

एस. आर. ओ. 318 दिनांक 6-12-1962 (as amended by SRO 325 dated 31-8-1977).–सेना अधिनियम, 1950 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की अधिसूचना के स्थान पर मामले विभाग सं. 93-X दिनांक 25-6-1942, जैसा कि बाद में संशोधित किया गया, केंद्र सरकार इसके द्वारा -

(i) असम राइफल्स की प्रत्येक इकाई पर लागू होती है, (और किसी भी सेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय उक्त असम राइफल्स की भर्तियों और और कर्मियों के लिए) जो केंद्र सरकार के अधिकार के तहत भारत में उठाया गया और बनाए रखा गया एक बल है, उक्त अधिनियम के सभी प्रावधान, यहां संलग्न संलग्न अनुसूची के भाग ए में निर्दिष्ट किए गए प्रावधानों को छोड़कर, उस (एसआईसी) अनुसूची के भाग बी में निर्धारित संशोधनों के अधीन, जब

नियमित सेना के किसी निकाय के साथ संलग्न या कार्य करते हैं; और

(ii) निलंबित करता है, जबकि यह अधिसूचना असम राइफल्स अधिनियम, 1941 (1941 का 5) की धारा 6,7,8 और 9 के संचालन में लागू रहती है।

8. सेना अधिनियम का अध्याय 6 अपराधों से संबंधित है। धारा 34 से 70 अध्याय 6 के अंतर्गत आती है। धारा 39, जहां तक यह प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः

"39.Absence छुट्टी के बिना।इस अधिनियम के अधीन कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित में से कोई भी अपराध करता है, अर्थात् -

(क) बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है; या

(b)-(g) * * *

कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए जाने पर, एक ऐसी अवधि के लिए कारावास भुगतने के लिए दायी होगा जो तीन साल या उससे कम सजा तक बढ़ सकती है जैसा कि इस अधिनियम में उल्लिखित है।

9. धारा 108 में कोर्ट मार्शल के प्रकारों का वर्णन किया गया है। उक्त प्रावधान इस प्रकार हैः

108 "। कोर्ट मार्शल के प्रकार -इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए चार प्रकार के कोर्ट मार्शल होंगे, अर्थात् -

(ए) जनरल कोर्ट मार्शल;

(ख) जिला न्यायालय मार्शल;

(ग) जनरल कोर्ट मार्शल का सारांश; तथा

(घ) सारांश कोर्ट मार्शल।

10. धारा 116 में यह प्रावधान है कि समरी कोर्ट मार्शल नियमित सेना के किसी भी कोर, विभाग या टुकड़ी के कमांडिंग अधिकारी द्वारा आयोजित किया जा सकता है, और वह अकेले अदालत का गठन करेगा। धारा 116 की उपधारा (2) के अनुसारः

> **"116. (2) कार्यवाही में दो अन्य व्यक्ति भाग लेंगे जो अधिकारी या कनिष्ठ कमीशन अधिकारी होंगे या दोनों में से एक होंगे, और जिन्हें शपथ या पुष्टि नहीं दी जाएगी।**

11. धारा 71 में कोर्ट मार्शल द्वारा दिए जाने वाले दंड का प्रावधान है। कोर्ट मार्शल द्वारा दिए जाने वाले दंडों में से एक अपराधी को सेवा से बर्खास्त करना है।

12. सेना अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा धारा 191 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेना नियम बनाए गए हैं। कोर्ट मार्शल द्वारा आरोपों की जांच और मुकदमे के संबंध में कमांडिंग अधिकारियों की शक्तियां सेना नियमों के अध्याय V में प्रदान की गई हैं। नियम 31 में कहा गया है किः

> **"31. आरोप-पत्र पर हस्ताक्षर।आरोप-पत्र पर अभियुक्त के कमांडिंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसमें ऐसे ऐसे हस्ताक्षर का स्थान और तिथि होगी।**

13. नियम 39 कोर्ट मार्शल के लिए अधिकारियों की अयोग्यता और अयोग्यता से संबंधित है। यह नीचे लिखा गया हैः

"39.Ineligibility और कोर्ट मार्शल के लिए अधिकारियों की अयोग्यता।

(1) एक अधिकारी कोर्ट मार्शल पर सेवा करने के लिए पात्र नहीं है यदि वह अधिनियम के अधीन नहीं है।

(2) एक अधिकारी को जनरल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल पर सेवा करने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है यदि वह -

i. एक अधिकारी है जिसने अदालत को बुलाया है; या

ii. अभियोजन पक्ष का अभियोजक या गवाह है; या

iii. विचारण के पूर्व आरोपों की जांच की, या साक्ष्य का सारांश लिया, या उन मामलों के संबंध में जांच की अदालत का सदस्य था जिन पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप स्थापित किए गए हैं, या स्क्वाड्रन, बैटरी, कंपनी या अन्य कमांडर था, जिसने मामले की प्रारंभिक जांच की थी, या पिछले कोर्ट मार्शल का सदस्य था जिसने उसी अपराध के संबंध में अभियुक्त पर मुकदमा चलाया था; या

iv. अभियुक्त का या उस कोर का कमांडिंग अधिकारी है जिससे अभियुक्त संबंधित है; या

v. मामले में उसका व्यक्तिगत हित है।

(3) प्रोवोस्ट मार्शल या सहायक प्रोवोस्ट मार्शल को जनरल कोर्ट मार्शल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल में सेवा करने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है।

14. सेना नियमों के नियम 106 से 133 में समरी कोर्ट मार्शल के संचालन के लिए कार्यवाही का प्रावधान है। समरी कोर्ट मार्शल को इन नियमों में दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा। अभियुक्त का का अभियोग नियम 111 में दिया गया है। नियम 115 " दोषी" या "दोषी नहीं" के सामान्य निवेदन से संबंधित है। नियम 116 " दोषी" की याचिका के बाद की प्रक्रिया से संबंधित है। नियम 116 इस प्रकार प्रदान करता हैः

116. 'दोषी' की याचिका के बाद कि प्रक्रिया

(1) 'दोषी' की याचिका के अभिलेख पर, यदि उसी आरोप-पत्र में अन्य आरोप हैं जिन पर याचिका 'दोषी नहीं' है, तो विचारण पहले बाद के आरोपों के संबंध में आगे बढ़ेगा, और इन आरोपों के निष्कर्ष के बाद, उन आरोपों के साथ आगे बढ़ेगा जिन पर 'दोषी' की याचिका दर्ज की गई है; लेकिन यदि वे वैकल्पिक आरोप हैं, तो न्यायालय या तो सभी आरोपों के संबंध में आगे बढ़ सकता है जैसे कि अभियुक्त ने किसी आरोप के लिए 'दोषी' का अनुरोध नहीं किया था, या, उस पर मुकदमा चलाने के बजाय, उन वैकल्पिक आरोपों में से किसी एक पर निष्कर्ष दर्ज कर सकता है जिन पर उसने 'दोषी' का अनुरोध किया है और अन्य सभी वैकल्पिक आरोपों पर 'दोषी नहीं' का निष्कर्ष निकाल सकता है।

(2) किसी आरोप पर 'दोषी' की याचिका के अभिलेख के बाद (यदि विचारण किसी अन्य आरोप पर आगे नहीं बढ़ता है) न्यायालय साक्ष्य के सारांश को पढ़ेगा और उसे कार्यवाहियों में संलग्न करेगा या यदि ऐसा कोई सारांश नहीं है, तो सजा

का निर्धारण करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य लेगा और रिकॉर्ड करेगा, और समीक्षा अधिकारी अपराध से जुड़ी सभी परिस्थितियों को जानेगा। साक्ष्य को उसी तरीके से लिया जाएगा जैसा कि 'दोषी नहीं' की याचिका के मामले में इन नियमों द्वारा निर्देशित किया गया है।

(3) ऐसा साक्ष्य लेने के बाद, या साक्ष्य का सारांश पढ़ने के बाद, जैसा भी मामला हो, अभियुक्त आरोप के संदर्भ में और सजा को कम करने के लिए अदालत को संबोधित कर सकता है और अपने चरित्र के बारे में गवाहों को बुला सकता है।

(4) यदि अभियुक्त के कथन से, या साक्ष्य के सारांश से, या अन्यथा, न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने 'दोषी' की अपनी याचिका के प्रभाव को नहीं समझा, तो न्यायालय अभिलेख को बदल देगा और 'दोषी नहीं' की याचिका दर्ज करेगा, और तदनुसार विचारण के साथ आगे बढ़ेगा।

(5) यदि 'दोषी' की याचिका अभिलिखित की जाती है और उसी आरोप-पत्र में अन्य आरोपों के संबंध में विचारण आगे बढ़ता है, तो उप-नियम (2) और (3) के तहत कार्यवाही तब होगी जब उसी आरोप-पत्र में अन्य आरोपों पर निष्कर्ष अभिलिखित किए जाएंगे।

(6) जब अभियुक्त दंड को कम करने के बारे में कुछ कहता है, जिसे न्यायालय की राय में साबित करने की आवश्यकता होती है, और यदि साबित होता है, तो दंड की राशि प्रभावित

होगी, तो न्यायालय अभियुक्त को इसे साबित करने के लिए गवाहों को बुलाने की अनुमति दे सकता है।

(7) किसी मामले में जहां न्यायालय को धारा 139 द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध से भिन्न किसी अपराध का दोषी ठहराने का अधिकार दिया गया है, या कम सजा वाली परिस्थितियों में अपराध करने का दोषी पाया जा सकता है, या जहां वह साक्ष्य सुनने के बाद नियम 121 के उप-नियम (3) के अनुसार परिवर्तनों के अपवादों के अधीन दोषी का विशेष निष्कर्ष निकाल सकता है, तो वह ऐसे पाठ्यक्रम के न्याय के बारे में संतुष्ट है, यदि वह ऐसे अन्य अपराध के लिए, या ऐसे अपराध के लिए दोषी की याचिका को स्वीकार और दर्ज कर सकता है जो ऐसी कम सजा वाली परिस्थितियों में किया गया था, या ऐसे अपवादों या भिन्नताओं के अधीन आरोपित अपराध के लिए।

15. नियम 123 दोषसिद्धि पर प्रक्रिया का प्रावधान करता है और नियम नियम 124 सजा से संबंधित है। नियम 187 (3) (ए) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक बटालियन सारांश कोर्ट मार्शल के उद्देश्य के लिए एक "कोर" है।

16. यह तुरंत कहा जा सकता है कि सेना अधिनियम की धारा 4 को एसआरओ 318 दिनांक 6-12-1962 (एसआरओ 325 दिनांक 31-8-1977 द्वारा संशोधित) के साथ पढ़कर सेना अधिनियम को असम असम राइफल्स पर लागू किया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी सेना अधिनियम के प्रावधानों के अधीन था।

17. कमांडेंट, कर्नल A.S. सेहरावत ने प्रत्यर्थी को हस्ताक्षर किए और आरोप पत्र जारी किया और समरी कोर्ट मार्शल की अध्यक्षता की, यह विवाद में नहीं है। यह भी विवाद में नहीं है कि कर्नल A.S. सेहरावत की अध्यक्षता में समरी कोर्ट मार्शल ने प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्तगी की सजा दी। सवाल यह है कि क्या उपरोक्त प्रक्रिया ने प्रतिवादी के खिलाफ कोर्ट-मार्शल कार्यवाही को दूषित कर दिया है।

18. कोर्ट मार्शल धारा 108 के अनुसार चार प्रकार के होते हैंः

(ए) जनरल कोर्ट मार्शल;

(ख) जिला न्यायालय मार्शल;

(ग) जनरल कोर्ट मार्शल का सारांश; तथा

(घ) सारांश कोर्ट मार्शल।

सेना नियमों का नियम 39 कोर्ट मार्शल के लिए अधिकारियों की अयोग्यता और अयोग्यता से संबंधित है। इस नियम के संदर्भ में, एक अधिकारी को जनरल कोर्ट मार्शल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल पर सेवा करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है यदि वह एक अधिकारी है जिसने अदालत बुलाई है। अभियुक्त या जिस कोर से अभियुक्त संबंधित है, उसके कमांडिंग अधिकारी को भी जनरल कोर्ट कोर्ट मार्शल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल में सेवा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। हालांकि, अदालत बुलाने वाले अधिकारी या आरोपी के कमांडिंग ऑफिसर या उस कोर के लिए कोई अयोग्यता संलग्न नहीं है, जिससे आरोपी अन्य दो प्रकार के कोर्ट मार्शल, अर्थात् सारांश जनरल कोर्ट मार्शल या सारांश कोर्ट

मार्शल में सेवा करने के लिए संबंधित है। सैन्य अधिनियम या सेना नियमों में किसी ऐसे अधिकारी के लिए न तो कोई बाधा है और न ही कोई प्रतिबंध है, जिसने समरी जनरल कोर्ट मार्शल या समरी कोर्ट मार्शल या अभियुक्त के कमांडिंग ऑफिसर या उस कोर के लिए, जिससे अभियुक्त संबंधित है, ऐसी अदालत में सेवा करने के लिए बुलाया हो। सेना अधिनियम की धारा 116 में यह प्रावधान किया गया है कि एक संक्षिप्त कोर्ट मार्शल किसी भी कोर, विभाग या नियमित सेना की टुकड़ी के कमांडिंग अधिकारी द्वारा आयोजित किया जा सकता है और वह अकेले अदालत का गठन करेगा. यदि सेना अधिनियम की धारा 116 में निहित उपबंध को सेना नियमों के नियम 31 और 39 के साथ पढ़ा जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कर्नल A.S. सेहरावत, जो प्रत्यर्थी का कमांडिंग अधिकारी था, प्रत्यर्थी पर मुकदमा चलाने के लिए समरी कोर्ट मार्शल में सेवा करने के लिए किसी भी विकलांगता, अयोग्यता या अयोग्यता से पीड़ित नहीं था, इस तथ्य के बावजूद कि उसने प्रत्यर्थी के खिलाफ हस्ताक्षर किए और आरोप पत्र जारी किया।

19. वास्तव में, प्रत्यर्थी के विचारण के लिए समरी कोर्ट मार्शल में सेवा करने के लिए कर्नल A.S. सहरावत की योग्यता या योग्यता को संपूर्ण रिट याचिका में प्रत्यर्थी द्वारा बिल्कुल भी मुद्दा नहीं बनाया गया था। इसमें याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित आधार स्थापित किए, अर्थात्ः (1) सेना अधिनियम की धारा 39 (ए) के तहत बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए; (2) इकाई मुख्यालय से याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति जानबूझकर और

जानबूझकर नहीं थी; यह उसके नियंत्रण से परे कारण के लिए था; और (3) समरी कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा तर्कसंगत नहीं थी और अपराध साबित होने के अनुरूप नहीं थी; इसने अनुपात को बनाए नहीं रखा; सजा दमनकारी और अवसर से बाहर थी।

यह केवल विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दलीलों के दौरान ही था कि याचिकाकर्ता की ओर से एक निवेदन किया गया था कि बटालियन के कमांडेंट, जिन्होंने हस्ताक्षर किए और उन्हें आरोप पत्र जारी किया, ने समरी कोर्ट मार्शल की बैठक की और अध्यक्षता की और जिसके निष्कर्ष पर सेवा से बर्खास्तगी की सजा लागू की गई, जिसने कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही को दूषित कर दिया क्योंकि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई से वंचित कर दिया गया था।

20. हमारे विचार में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तरह के तर्क को अनुमति देने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की थी। सबसे पहले, रिट याचिका में बिना किसी आधार के तर्क दिया गया था। रिट याचिका में वास्तविक या पूर्वाग्रह की संभावना का कोई अनुरोध नहीं किया गया था। रिट याचिका में यह भी कोई याचिका नहीं ली गई थी कि उन्हें समरी कोर्ट मार्शल के दौरान निष्पक्ष सुनवाई से वंचित कर दिया गया था। दूसरा, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने ऊपर निर्दिष्ट वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की और उनकी अनदेखी की। डिवीजन बेंच इस मामले पर सही परिप्रेक्ष्य में और सेना अधिनियम और सेना नियमों के प्रावधानों के आलोक में विचार करने में भी विफल रही।

21. बिना छुट्टी के अनुपस्थिति सेना अधिनियम के तहत अपराधों में से एक है। उक्त अपराध के लिए कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए जाने

जाने पर, अपराधी को तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास भुगतना पड़ सकता है। वैकल्पिक रूप से, ऐसे अपराध के लिए धारा 71 में प्रदत्त किसी भी दंड को कोर्ट मार्शल द्वारा दिया जा सकता है। धारा 71 के खंड (ई) में ऐसे अपराध के लिए कोर्ट मार्शल द्वारा दिए जाने वाले दंडों में से एक के रूप में सेवा से बर्खास्तगी का प्रावधान है। प्रत्यर्थी को आरोप पत्र सौंपा गया था जो सेना नियमों के नियम 31 और सेना अधिनियम की धारा 39 और 116 के अनुरूप था। प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया कि वह 808 दिनों के लिए यूनिट लाइन से अनुपस्थित रहा। उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिली। उन्होंने समरी कोर्ट मार्शल के समक्ष दोषी ठहराया। समरी कोर्ट मार्शल ने सेना नियमों के नियम 116 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन किया और उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की सजा सुनाई। न तो समरी कोर्ट मार्शल का गठन और न ही उस अदालत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को किसी अवैधता से ग्रस्त कहा जा सकता है। तथ्य स्पष्ट हैं क्योंकि प्रत्यर्थी लगभग पाँच वर्ष की सेवा में दो वर्ष से अधिक समय तक बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहा।

22. विद्या प्रकाश बनाम भारत संघ [(1988) 2 एस. सी. सी. 459:1988 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 603] में इस न्यायालय का निर्णय वर्तमान स्थिति पर पूरी तरह लागू होता है। दुर्भाग्य से, विद्या प्रकाश [(1988) 2 एस. सी. सी. 459:1988 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 603] में निर्णय एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के संज्ञान में नहीं लाया गया था। विद्या प्रकाश [(1988) 2 एस. सी. सी. 459:1988 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 603] में तथ्य ये थेः अपीलार्थी को पानागढ़ में जवान के रूप में तैनात किया गया था। वह बिना छुट्टी लिए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पानागढ़ से

कानपुर के लिए रवाना हो गए। विद्या प्रकाश के अनुसार, वह अस्वस्थ हो गए थे और उनका डॉक्टर के पास इलाज चल रहा था। जब उन्होंने अपने फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ पानागढ़ इकाई को सूचित किया, तो उन्हें एक आरोप पत्र दिया गया जिसमें मेजर P.S द्वारा आदेश दिया गया था। महंत ने कहा कि उन पर समरी कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। सारांश कोर्ट मार्शल जिसकी अध्यक्षता मेजर P.S. ने की थी। महंत ने उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया। विद्या प्रकाश ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में उस आदेश को चुनौती दी थी। अन्य बातों के साथ, एक याचिका स्थापित की गई थी कि कमांडिंग ऑफिसर मेजर P.S. महंत कानूनी रूप से समरी कोर्ट मार्शल की अध्यक्षता करने के लिए सक्षम नहीं थे। दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि मेजर P.S. की योग्यता के बारे में कोई आपत्ति नहीं ली गई थी। सामंत समरी कोर्ट मार्शल में न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से ही यह मामला इस न्यायालय में पहुंचा। इस न्यायालय ने सेना अधिनियम की धारा 108 और 116 , सेना नियमों के नियम 39 (2) पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि समरी कोर्ट मार्शल कमांडिंग ऑफिसर मेजर P.S. द्वारा आयोजित किया गया था। महंत सेना अधिनियम की धारा 116 के प्रावधानों के अनुसार थे। इस न्यायालय ने आगे कहाः (विद्या प्रकाश मामला [(1988) 2 एस. सी. सी. 459:1988 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 603], एस. सी. सी. पी. 464, पैरा 13)

"13. कोर, विभाग या नियमित सेना की टुकड़ी का कमांडिंग अधिकारी, जिससे अपीलार्थी संबंधित है, उक्त अधिनियम की धारा 116 के प्रावधानों के अनुसार काफी सक्षम है और इस प्रकार कोर के कमांडिंग अधिकारी द्वारा समरी कोर्ट मार्शल के गठन को अवैध या अक्षम के रूप में नहीं पूछा जा सकता है। यह न तो जनरल कोर्ट मार्शल है और न ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल है जहाँ अपीलार्थी के मामले की सुनवाई और निर्णय लिया गया था। जनरल कोर्ट मार्शल या जिला कोर्ट मार्शल के मामले में सेना नियम, 1954 का नियम 39 (2) लागू होता है और कमांडिंग अधिकारी जनरल या जिला कोर्ट मार्शल बुलाने के लिए सक्षम नहीं होता है। सारांश कोर्ट मार्शल कोर के कमांडिंग ऑफिसर, मेजर □.□. द्वारा आयोजित किया गया था। महांत और कैप्टन सहित दो अन्य अधिकारी हैं। □.□. सिंह और एक अन्य अधिकारी कार्यवाही में भाग लेने के लिए। ऐसी परिस्थितियों में, सेना अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार कोर के कमांडिंग अधिकारी द्वारा समरी कोर्ट मार्शल बुलाए जाने के कारण, अपीलार्थी की ओर से किया गया पहला निवेदन विफल हो जाता है।

23. विद्या प्रकाश [(1988) 2 एस. सी. सी. 459:1988 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 603] में इस न्यायालय द्वारा उजागर की गई कानूनी स्थिति आक्षेपित निर्णयों को अस्थिर बनाती है।

24. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने पंजाब नेशनल बैंक बनाम कुंज बिहारी मिश्रा [(1998) 7 एससीसी 84: 1998 एससीसी (एल एंड एस) 1783], मेनका गांधी बनाम भारत संघ [(1978) 1 एससीसी 24: एआईआर 1978 एससी 597] और रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक [(2009) 2 एससीसी 570: (2009) 1 एससीसी (एल एंड एस) 398] में इस अदालत के फैसलों पर भारी भरोसा जताया। हमें डर है कि इनमें से किसी भी निर्णय का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का का कोई उल्लंघन नहीं है। कमांडिंग ऑफिसर द्वारा समरी कोर्ट मार्शल बुलाने में कोई अवैधता नहीं की गई है और न ही समरी कोर्ट मार्शल के संचालन में कोई अवैधता है। प्रतिवादी ने समरी कोर्ट मार्शल और समरी कोर्ट मार्शल के समक्ष आरोप के लिए दोषी ठहराया और उसे दोषी पाया। तभी प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया गया था। अब यह तय हो गया है कि कोर्ट मार्शल द्वारा कोई कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

25. दीवानी अपील की अनुमति है। एकल न्यायाधीश का निर्णय और आदेश दिनांक 7-9-2006 और डिवीजन बेंच का आदेश दिनांक 28-8-2008 [भारत संघ बनाम दिनेश प्रसाद, डब्ल्यूए नं. 2007 का 364, दिनांक 28-8-2008 (गौ)] का आदेश अलग रखा गया है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

Translated By:
Pratik Kumar